रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032025-261886
CG-DL-E-24032025-261886

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1339] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 21, 2025/फाल्गुन 30, 1946
No. 1339] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 21, 2025/PHALGUNA 30, 1946

पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2025

का.आ. 1357(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उमरेर करहन्डाला वन्यजीव अभयारण्य, महाराष्ट्र के आसपास एक पारिस्तिथिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में, का.आ. संख्यांक 837 (अ), तारीख 16 मार्च, 2017 द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना का.आ. संख्यांक 837(अ), तारीख 16 मार्च, 2017 का संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड

3, उपखंड (ii) में, का.आ. संख्यांक 837(अ), तारीख 16 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 और 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखें जाएंगे, अर्थात्: -

"**5. मानीटरी समिति.**– केंद्रीय सरकार, निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनी एक मानीटरी समिती का गठन करती है, अर्थात्: -

(i)	कलेक्टर, नागपुर जिला	अध्यक्ष, *पदेन*;
(ii)	कलेक्टर, भंडारा जिले का एक प्रतिनिधि	सदस्य, *पदेन;*
(iii)	जिला परिषद, नागपुर जिले का एक प्रतिनिधि	सदस्य, *पदेन;*
(iv)	जिला परिषद, भंडारा जिले का एक प्रतिनिधि	सदस्य, *पदेन;*
(v)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक तीन वर्ष में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा	सदस्य;
(vi)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ, जिसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक तीन वर्ष में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा	सदस्य;
(vii)	क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुंबई	सदस्य, *पदेन;*
(viii)	मुख्य संरक्षक और क्षेत्र निदेशक, पेंच बाघ परियोजना, नागपुर जिले का एक प्रतिनिधि	सदस्य, *पदेन;*
(ix)	क्षेत्र के वरिष्ठ नगर नियोजक, भंडारा जिला	सदस्य, *पदेन;*
(x)	क्षेत्र के वरिष्ठ नगर नियोजक, नागपुर जिला	सदस्य, *पदेन;*
(xi)	पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य, *पदेन;*
(xii)	राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य	सदस्य, *पदेन;*
(xiii)	उप वन संरक्षक, भंडारा	सदस्य, *पदेन;*
(xiv)	उप वन संरक्षक, नागपुर	सदस्य सचिव, *पदेन।*

6. मानीटरी समिति के कृत्य:- (1) मानीटरी समिति, वास्तविक स्थलीय-विनिर्दिष्ट दशाओं के आधार पर, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0 का.आ. 1553(अ), तारीख 14 सितंबर 2006 की अनुसूची में आने वाले क्रियाकलापों की, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आते हैं, ऐसे प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, जो उस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट है, संवीक्षा करेगी, और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनुज्ञा-पत्र के लिए, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण को निर्दिष्ट करेगी ।

(2) ऐसे क्रियाकलापों की, जो उपपैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में नहीं आते हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आते हैं, ऐसी प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय, जो उस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट है, वास्तविक स्थलीय-विनिर्दिष्ट दशाओं के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(3) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या कलेक्टर या उप वन संरक्षक, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(4) मानीटरी समिति, प्रत्येक मामले के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए, समिति को उसके विचार-विमर्श में सहायता के लिए, विभाग से किसी प्रतिनिधि या किसी विशेषज्ञ, औद्योगिक संगमों के किसी प्रतिनिधि या पणधारियों को आमंत्रित कर सकेगी ।

(5) मानीटरी समिति, प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अवधि के अपने क्रियालापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट, इस अधिसूचना के साथ संलग्न उपाबंध-V में विनिर्दिष्ट प्ररूप में, उस वर्ष की 30 जून तक, मुख्य वन्यजीव वार्डन को प्रस्तुत करेगी ।

(6) केंद्रीय सरकार, मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए, लिखित में ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह उचित समझे ।

[फा. सं. 0 25/44/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक ''जी''

टिप्पण.- मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (ii) में का.आ. 837 (अ) तारीख 16 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2025

S.O. 1357(E).—WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Umred Karhandla Wildlife Sanctuary, Maharashtra in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 837(E), dated the 16 March, 2017;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 837(E), dated the 16 March, 2017;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 837(E), dated the 16 March, 2017, namely:-

In the said notification, for paragraphs 5 and 6, the following paragraph shall be respectively substituted, namely: -

"5. **Monitoring Committee**. - The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee consisting of the following persons, namely:-

(i)	Collector, Nagpur District	– Chairman, *ex officio*;
(ii)	A Representative of Collector, Bhandara District	– Member, *ex officio*;
(iii)	A Representative of Zilla Parishad, Nagpur District	– Member, *ex officio*;

(iv)	A Representative of Zilla Parishad, Bhandara District	– Member, *ex officio*;
(v)	A representative of Non-Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Maharashtra from time to time every three years.	– Member;
(vi)	One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Maharashtra from time to time every three years.	– Member;
(vii)	The Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board, Mumbai	– Member, *ex officio*;
(viii)	A Representative of Chief Conservator and Field Director, Pench Tiger Project, Nagpur District	– Member, *ex officio*;
(ix)	Senior Town Planner of the area, Bhandara District	– Member, *ex officio*;
(x)	Senior Town Planner of the area, Nagpur District	– Member, *ex officio*;
(xi)	A representative of the Department of Environment, Government of Maharashtra	– Member, *ex officio*;
(xii)	Member of State Biodiversity Board	– Member, *ex officio*;
(xiii)	Deputy Conservator of Forests, Bhandara	– Member, *ex officio*;
(xiv)	Deputy Conservator of Forests, Nagpur	–Member-Secretary, *ex officio*.

6. **Functions of the Monitoring Committee.** – (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from Department concerned, representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in Annexure-V, appended to this notification.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions."

[F. No. 25/44/2015-ESZ-RE]

DR. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. 837(E), dated the 16 March, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.03.24 14:02:14 +05'30'